हेग सर्विस कन्वेंशन

[स्रोत: TH](#)

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने प्रतिभूति एवं वायर धोखाधड़ी मामले में भारतीय अरबपति **गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर समन जारी करने के लिये हेग सर्विस कन्वेंशन** का आह्वान किया है।

- **हेग सर्विस कन्वेंशन (1965):** एक **बहुपक्षीय संधि** जो **84 हस्ताक्षरकर्त्ता राज्यों के बीच नागरिक या वाणिज्यिक** मामलों में **कानूनी दस्तावेज़ों की सीमा** पार सेवा की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें **भारत** (जो वर्ष 2006 में कुछ आरक्षणों के साथ कन्वेंशन में शामिल हुआ) **और अमेरिका** शामिल हैं।
- **SEC का भारत से अनुरोध:** SEC ने कन्वेंशन का हवाला देते हुए भारत के **विधि एवं न्याय मंत्रालय से** अडानी और उनके सहयोगियों पर समन जारी करने का अनुरोध किया।
- **प्रक्रिया की सेवा पर भारत का रुख: भारत कन्वेंशन के अनुच्छेद 10** के तहत वैकल्पिक सेवा विधियों को अस्वीकार करता है, जिसमें डाक सेवा, राजनयिक चैनल या विदेशी न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष सेवा शामिल है।
  - सभी अनुरोधों को **विधि मंत्रालय** के माध्यम से जाना होगा, जो **संप्रभुता या सुरक्षा के लिए खतरा होने पर उन्हें अस्वीकार कर सकता है।**
  - विधि मंत्रालय को ऐसे अनुरोधों की समीक्षा का अधिकार है तथा यदि वे सुरक्षा या संप्रभुता के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।
- **वैकल्पिक सेवा पर न्यायिक प्रावधान:** वैकल्पिक सेवा पर न्यायिक मिसालें: समन हेतु सोशल मीडिया और ईमेल के उपयोग पर विश्व के न्यायालयों में चर्चा हुई है।
  - **अमेरिकी न्यायालय** ने फेसबुक और ईमेल के माध्यम से सेवा की अनुमति दी। ***[illegible] (2019)*** में, ब्रिटेन की एक **अदालत ने वैकल्पिक माध्यमों** से भेजे गए समन को अमान्य करार दिया, जिससे भारत के कन्वेंशन के प्रति सख्ती से पालन की पुष्टि हुई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hague-service-convention